कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन– 834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक– 106 दिनांक–03/02/2023

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

विषय :– मेसर्स बी0सी0सी0एल0 की मुराईडीह कोलियरी परियोजना हेतु कुल 133.69 हे0 (46.17 हे0 वनभूमि एवं 87.52 हे0 जंगल–झाड़ी) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 27 दिनांक 10.01.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा बी0सी0सी0एल0 बरोरा क्षेत्र के मुराईडीह कोलियरी परियोजना हेतु कुल 133.69 हे0 हे0 (46.17 हे0 वनभूमि एवं 87.52 हे0 जंगल–झाड़ी) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव ऑनलाईन एवं हार्ड कॉपी में इस कार्यालय को प्राप्त हुई है।

उक्त प्रस्ताव के समीक्षोंपरान्त निम्नवत् बिन्दुओं पर प्रतिवेदन अपेक्षित है :–

1. विषयगत प्रस्ताव में जंगल–झाड़ी भूमि का संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र अप्राप्त है।
2. वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत् FRA प्रमाण पत्र अप्राप्त है।
3. विषयगत प्रयोजना में जंगल–झाड़ का रकबा 87.52.हे0 (51.96 हे0 गैर–मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि एवं 35.56 हे0 रैयती जंगल–झाड़ भूमि) अपयोजन हेतु प्रस्तावित है जबकि उपायुक्त को प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक 2556 दिनांक 14.02.2020 द्वारा अनापत्ति हेतु भेजे गए अनुरोध पत्र में जंगल–झाड़ का रकबा 128.36 एकड़ (51.95 हे0) उल्लेखित है। प्रस्ताव के साथ संलग्न उपायुक्त के ज्ञापांक 1407 दिनांक 11.04.2022 में वर्णित है कि "वर्ष 2005 में प्रकाशित रिवीजनल सर्वे के अनुसार उक्त भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन हेतु वनभूमि की श्रेणी में नहीं आती है।" इस भिन्नता कि स्थिति को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
4. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद, वन प्रमण्डल द्वारा प्रस्ताव के पार्ट–II के कंडिका– 11(i) में 47.62 हे0 वन भूमि में Violation प्रतिवेदित है, जिसमें Violation के Period of work done में 5 वर्षो का उल्लेख है। परन्तु वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के स्थलीय निरिक्षण प्रतिवेदन में निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

   "During the inspection it was found that earlier over burden of mining was dumped over the forest land. The User Agency has shown this in the submitted maps. According to the report submitted by the User Agency OB Dumping was done over 34.38 ha. forest land and 74. 72 ha Jungle-Jhari land. After 1980 OB Dumping has been done over 11.27 ha. forest land and after 1996 OB Dumping was done over 31.35 ha. of Jungle-Jhari land. User Agency has agreed to pay for the Penal Compensatory Afforestation".

03.02.2023

चूँकि वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के उपरोक्त प्रतिवेदनानुसार भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना 1980 के बाद OB Dumping हेतु 11.27 हे0 वन भूमि एवं 1996 के बाद OB Dumping हेतु 31.35 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि कुल 42.62 हे0 वन भूमि में कार्य किया गया है, जो वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक द्वारा Violation हेतु प्रतिवेदित रकबा में भी विरोधाभाष है।

5. क्षतिपूरक वन रोपण हेतु मौजा–मकराटांड एवं उदयपुर में वन प्रमण्डल पदाधिकारी के उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं स्थल विशिष्ट योजना प्राक्कलन एवं DGPS map में अंकित प्लॉट में भिन्नता है।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड की गयी map of the outer boundary of mining lease KML का area 720.00 ha and applied forest area 133.69 + non forest area 584.02 ha=717.71 ha में भिन्नता है।

अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर वांछित निराकरण प्रतिवेदन मंतव्य सहित यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 106 **दिनांक** 03/02/2023

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/महाप्रबंधक बी0सी0सी0एल0, कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.02.2023
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।